

न्यायाधीशों द्वारा खुद को सुनवाई से अलग रखना

प्रलिस के लयः

न्यायाधीशों द्वारा खुद को सुनवाई से अलग रखना, सर्वोच्च न्यायालय

मेन्स के लयः

न्यायाधीशों द्वारा खुद को सुनवाई से अलग रखना और संबंधतः चतऱाँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय](#) के एक न्यायाधीश ने वर्ष 2002 के दंगों के दौरान सामूहकः बलात्कार के लयः आजीवन कारावास की सज़ा पाए 11 लोगों को समय से पहले रहऱा करने के गुजरात सरकार के फ़ैसले के खलऱाफ बलऱकसऱ बानो द्वारा दायर एक **रटऱ याचकऱा** पर सुनवाई से खुद को अलग कर लयऱा ।

न्यायाधीशों द्वारा खुद को सुनवाई से अलग रखना:

परचऱयः

- यह पीठासीन न्यायालय के अधकऱारी या प्रशासनकऱ अधकऱारी के बीच मतभेद के कारण आधकऱारकऱ कार्रवाई जैसे **कानूनी कारयवाही में भाग लेने से अलग रहने से संबंधतऱ है ।**

खुद को सुनवाई से अलग रखने संबंधी नयऱमः

- पुनरमूल्यांकन को नयऱंतरतऱ करने वाले कोई औपचारकऱ नयऱम नहीं हैं, हालाँकऱ सर्वोच्च न्यायालय के कई नरऱणों में इस मुद्दे पर बात की गई है ।
 - **रंजीत ठाकुर बनाम भारत संघ (1987)** मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कऱऱ यह दूसरे पक्ष के मन में पक्षपात की संभावना की आशंका के प्रतऱऱर्कों को बल प्रदान करता है ।
 - न्यायालय को अपने सामने मौजूद पक्ष के तर्क को देखना चाहयऱे और तय करना चाहयऱे कऱऱ वह पक्षपाती है या नहीं ।

खुद को सुनवाई से अलग रखने का कारणः

- जब हतऱों का टकराव होता है तो एक न्यायाधीश मामले की सुनवाई से पीछे हट सकता है ताकऱ यह धारणा पैदा न हो कऱऱ उसने मामले का नरऱणय करते समय पक्षपात कयऱा है ।
- हतऱों का टकराव कई तरह से हो सकता है जैसेः
 - मामले में शामिल कऱऱी पक्ष के साथ पूर्व या वयकऱतगतऱ संबंध होना ।
 - कऱऱी मामले में शामिल पक्षों में से एक के लयऱे पेश कयऱावकीलों या गैर-वकीलों के साथ एकतरफा संचार ।
 - उच्च न्यायालय (High Court- HC) के फ़ैसले के खलऱाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की जाती है, जसऱ पर नरऱणय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा तब लयऱा गया जब वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो ।
 - कऱऱी कंपनी के मामले में जसऱमें उसके शेयर हैं जब तक कऱऱ उसने अपने हतऱ का खुलासा नहीं कयऱा है और इसमें कोई आपत्तऱ नहीं है ।
- यह प्रथा **कानून की उचतऱि प्रकऱरयऱा** के कारडनऱल सऱदऱांत से उत्पन्न होती है कऱऱ कोई भी अपने मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता है ।
 - कोई भी हतऱ या हतऱों का टकराव कऱऱी मामले से हटने का आधार होगा कऱऱोंकऱ एक न्यायाधीश का कऱऱतव्य है कऱऱ वह नऱषऱपक्ष रूप से कार्य करे ।

सुनवाई से अलग रहने की प्रकऱरयऱा:

- सामान्यतः सुनवाई से अलग होने का फ़ैसला न्यायाधीश खुद करता है कऱऱोंकऱ यह हतऱों के कऱऱी भी संभावतऱ टकराव का खुलासा करने के लयऱे न्यायाधीश के ववऱक पर नरऱभर करता है ।
 - कई न्यायाधीश मामले में शामिल वकीलों को मौखकऱ रूप से खुद को अलग करने के कारणों की वयऱख्या नहीं करते हैं । कुछ कालानुक्रमकऱ कऱऱम में कारण बताते हैं ।

- कुछ परस्थितियों या मामलों में वकील या पक्ष इसे न्यायाधीश के सामने लाते हैं। एक बार अलग होने का अनुरोध किये जाने के बाद न्यायाधीश के पास इसे वापस लेने या न लेने का अधिकार होता है।
 - हालाँकि ऐसे कुछ उदाहरण हैं जहाँ न्यायाधीशों ने वरिध न देखते हुए भी सुनवाई से पीछे हटने से इनकार कर दिया, लेकिन केवल इसलिये कि ऐसी आशंका व्यक्त की गई थी, ऐसे कई मामले भी सामने आए हैं जहाँ न्यायाधीशों ने किसी मामले से पीछे हटने से इनकार कर दिया है।
- यदि कोई न्यायाधीश सुनवाई से अलग हो जाता है, तो मामले को एक नई पीठ को सौंपने के लिये मुख्य न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध किया जाता है।

न्यायाधीशों द्वारा स्वयं को सुनवाई से अलग रखने संबंधी चर्चाएँ:

- न्यायिक स्वतंत्रता को कम करना:
 - यह वादियों को अपनी पसंद की बेंच चुनने की अनुमति देता है, जो न्यायिक नष्पक्षता को कम करता है।
 - साथ ही इन मामलों से अलग होना न्यायाधीशों की स्वतंत्रता और नष्पक्षता दोनों को कमजोर करता है।
- वभिन्न व्याख्याएँ:
 - चूँकि यह निर्धारित करने के लिये कोई नयिम नहीं है कि न्यायाधीश इन मामलों में कब खुद को अलग कर सकते हैं, एक ही स्थिति की अलग-अलग व्याख्याएँ हैं।
- प्रक्रिया में देरी:
 - कुछ कार्य मुद्दों को उलझाने या कार्यवाही में बाधा डालने और देरी करने के इरादे से या किसी अन्य तरीके से न्याय के प्रारूप में बाधा डालने या इसे बाधित करने के इरादे से भी किये जाते हैं।

आगे की राह

- न्याय में परिवर्तन के एक उपकरण के रूप में तथा वादी की पसंद की बेंच चुनने के साधन के रूप में और न्यायिक कार्य से बचने हेतु एक साधन के रूप में पुनर्मूल्यांकन व्यवस्था का उपयोग नहीं किया जाना चाहिये।
- न्यायिक अधिकारियों को हर तरह के दबाव का वरिध करना चाहिये, चाहे वह कहीं से भी हो और यदि वे वचिलित हो जाते हैं तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के साथ-साथ संवधान भी कमजोर हो जाएगा।
- इसलिये एक नयिम जो न्यायाधीशों की ओर से अलग होने की प्रक्रिया को निर्धारित करता है, जल्द-से-जल्द बनाया जाना चाहिये।

स्रोत: द हट्टि